



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक:- 546 / औ०सं० / उनिलि / 2018-80 / औ०सं० / 2018

दिनांक: 18/05/2018

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उत्पादन निगम लि० में दुर्घटना होने की परिस्थिति में कार्मिकों को मुआवजे की धनराशि दिये जाने के संबंध में दिनांक 20.12.2017 को सम्पन्न हुयी निदेशक मण्डल की 173वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या-173.2.24 में निम्न संकल्प पारित किये गये हैं :-

1. उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में कर्तव्यपालन के दौरान साइट पर होने वाली दुर्घटना की दशा में नियमित कार्मिकों को दिये जाने वाली मुआवजे की राशि का भुगतान तत्समय एन०टी०पी०सी० में लागू Group Personal Accident Insurance Scheme के तहत की गयी गणना राशि के समतुल्य किया जायेगा या उसके समतुल्य योजना के अनुसार किया जायेगा।
2. उपरोक्त मुआवजे की राशि के भुगतान के दौरान यदि किसी सरकारी योजना के तहत कोई मुआवजा दिया जाता है तो उसे मुआवजे की धनराशि से उस सीमा तक घटा दिया जायेगा।
3. उपरोक्त योजना के तहत मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) को अधिकृत किया जाता है।
4. अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक को उपरोक्त योजना को लागू करने या उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय की तिथि 20.12.2017 से प्रभावी एवं लागू माना जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 546 / औ०सं० / उनिलि / 2018 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, के निजी सचिव, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, के निजी सचिव लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक (मा०सं०)/(वाणिज्य)/(तापीय परिचालन)/(पी०पी०एम०एम०)/(जानपद नव परियोजना)/(न्यू कोल ब्लॉक)/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(ईंधन)/(आर० एण्ड एम०) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता/परियोजना समन्वयक (अनपरा/ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/पनकी/1 X 660 मे०वा० पनकी) तापीय परियोजना।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1।) 1 X 660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय परियोजना, एटा।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
8. मुख्य प्रबन्धक, (वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
9. मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।



(मो० तस्नीम)

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)